भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2959
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: फसल बीमा योजनाओं का कवरेज

2959. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
श्री इटेला राजेंदर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक व्यापक दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है, जिसमें बदलती जलवायु के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करने की मांग की गई है, क्योंकि इसका सभी पर प्रभाव पड़ रहा है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या वर्तमान और चल रही फसल बीमा योजनाओं में देश के केवल 40 प्रतिशत किसान ही शामिल हैं और सरकार को प्रत्येक किसान को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या-क्या परिवर्तन किए गए/लागू किए गए हैं; और
(घ) विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा में स्वीकृत/खर्च की गई निधियों का जिला/राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार देश में जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आने वाले मिशनों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए रणनीतियों को कार्यान्वित करना है। कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना का फोकस एनएमएसए के एक घटक के रूप में कार्यान्वित की जाती है और उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना राज्यों को मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ सेकेन्डरी और सूक्ष्म पोषक

तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायता करती है। समेकित बागवानी विकास मिशन, कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और कृषि में जलवायु अनुकूल उन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और बढ़ावा देना है, जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों की समस्या को दूर करती हैं और परियोजना के परिणाम सूखा, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी चरम मौसम स्थितियों से ग्रस्त जिलों और क्षेत्रों को ऐसी चरम स्थितियों से निपटने में मदद करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए, आईसीएआर के तत्वावधान में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान कुल 2900 किस्में रिलीज की हैं। जिनमें से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील हैं। जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों जैसे चावल गहनीकरण प्रणाली, एरोबिक चावल, चावल की सीधी बुआई, गेहूं की जीरो टिल बुवाई, सूखा और गर्मी जैसी चरम मौसम स्थितियों के प्रति सहनशील जलवायु अनुकूल किस्मों की खेती, चावल के अवशेषों का यथास्थान समावेशन आदि का विकास और प्रदर्शन किया गया है।

(ख) एवं (ग): यह योजना राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि, विभिन्न तकनीकी और वित्तीय हस्तक्षेपों जैसे कि यस-टेक, विन्ड्स के संदर्भ में प्रौद्योगिकी का समावेश; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मूल पीएमएफबीवाई मॉडल के अतिरिक्त वैकल्पिक मॉडलों का विकल्प, किसानों के खाते में सीधे दावों का निपटान करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) और डिजीक्लेम मॉड्यूल का विकास; राज्य भूमि अभिलेखों को एनसीआईपी से जोड़ना, प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकार के हिस्से से अलग करना आदि के कारण सरकार द्वारा हाल ही में प्रीमियम दरों में काफी कमी आई है और इसलिए केंद्र राज्य सरकारों की प्रीमियम देयता काफी कम हो गई है। इसने महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय, पुडुचेरी और झारखंड जैसे कुछ राज्यों को किसानों के हिस्से का प्रीमियम पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह योजना के सार्वभौमीकरण के लिए एक कदम है और परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि होती है।

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत किसान आवेदनों की संख्या क्रमशः 2022-23 और 2023-24 के दौरान साल-दर-साल 35% और 28% बढ़ी है, और योजना की शुरुआत के बाद से 2023-24 के दौरान यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

(घ): केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, इस योजना के अंतर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार का हिस्सा केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को प्रदान किया जाता है, जो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर उपलब्ध कवरेज डेटा के अनुसार संबंधित बीमा कंपनियों को हिस्सा हस्तांतरित करती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा के संबंध में खरीफ 2016 से 2023-24 तक योजना की शुरुआत से दी गई प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से का विवरण नीचे दिया गया है:

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>आंध्र प्रदेश</th><th>तेलंगाना</th><th>पंजाब</th><th>हरियाणा</th></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>301.87</td><td>89.18</td><td rowspan="8">कार्यान्वित नहीं किया गया</td><td>64.87</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>511.66</td><td>241.57</td><td>96.71</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>588.07</td><td>194.77</td><td>262.48</td></tr>
<tr><td>2019-20*</td><td>503.35</td><td>320.94</td><td>421.49</td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td rowspan="2">कार्यान्वित नहीं किया गया</td><td rowspan="4">कार्यान्वित नहीं किया गया</td><td>482.13</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>447.69</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>1118.51</td><td>480.16</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>416.63</td><td>246.06</td></tr>
</table>

* इस योजना को केवल खरीफ 2019 सीजन में कार्यान्वित किया गया।

******